न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 74/2012 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00157

उनवान

रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी नगला तेजा मजरा कैर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामदयाल सिंह } पुत्रगण रतन सिंह जाति राजपूत निवासी नगला तेजा मजरा कैर तह0 बयाना
2. लक्ष्मण सिंह } जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

3. श्रीमती पूरनदेई पत्नी रामदयाल सिंह } जाति राजपूत नि0 नगला मजरा कैर तह0 बयाना जिला
4. श्रीमती सन्तो पत्नी लक्ष्मण सिंह } भरतपुर।

..... शोभनार्थ रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 77/2012 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी नगला तेजा मजरा कैर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामदयाल } पुखन रतन
2. लक्ष्मन }
3. श्रीराम } पुत्रान रामदयाल
4. नरेन्द्र }

जाति राजपूत निवासी नगला तेजा मजरा कैर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 24.09.2012 प्रकरण संख्या 107/07 उनवान रामदयाल बनाम रविन्द्र सिंह, 177/06 उनवानी रविन्द्र सिंह बनाम रामदयाल न्यायालय उपजिला कलक्टर, बयाना।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक :–05.07.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. दावा सख्या 107/07 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान् एक ही परिवार के सदस्य हैं। तेज सिंह का एक लडका भौरूसिंह, तेज सिंह के जीवनकाल में अपने पुत्र सरदार सिंह को छोडकर फौत हो गया। विवादित आराजी पक्षकारान् के पूर्वज तेज सिंह की छोडी हुई पैतृक आराजी है, जो तेज सिंह के फौत होने के बाद रैस्पो0/वादीगण के पिता रतन सिंह व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पिता भौरू सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। उक्त आराजी मुतनाजा को रैस्पो0/वादीगण एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करते व काबिज चले आ रहे हैं। परन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादी असल रविन्द्र सिंह ने गलत व अवैध तरीका से विवादित आराजीयात् के बाबत् टीप व खातेदारी राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करा ली है। उक्त गलत इन्द्राजो की जानकारी रैस्पो0/वादीगण को नहीं रही क्योंकि रैस्पो0/वादीगण मौके पर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राजो के आधार पर असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट, विवादित आराजी में निहित अधिकार रैस्पो0/वादीगण साफ इंकारी हो गया एवं किसी दीगर सख्स को रहन,वय व मुन्तकिल करने की धमकी देता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी घोषित किये जाने एवं इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने और प्रतिवादी/अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09.04.2001 से खारिज कर दिया। जिसकी अपील संख्या 173/2001 रैस्पो0/वादीगण ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 24.02.2006 से आंशिक स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय को गोदनामे के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य लेते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण पर पुनः सुनवाई करते हुए, दावा वादी/रैस्पो0 अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया।

3. दूसरा वाद संख्या 177/06 अपीलाण्ट/वादीगण ने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 08 रकवा 27 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम कैर में अपीलाण्ट/वादीगण संवत 2012 के पूर्व से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा राज लगान अदा करते चले आ रहे हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादी लट्ठ के बल पर, विवादित आराजी को जबरदस्ती अपीलाण्ट/वादीगण से छीनना व बेदखल करना चाहते हैं एवं विवादित आराजीयात् को शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग में रूकावट करते हैं। अगर रैस्पो0/प्रतिवादी अपनी उक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/वादीगण को अपरमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार रूपये पैसो से नही की जा सकेगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09.04.2001 से डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी ने अपील संख्या 174/2001 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 24.02.2006 आंशिक स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण पर पुनः सुनवाई करते हुए, दावा वादी/अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2012 से व्यथित होकर, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 74/2012 उनवान रविन्द्र बनाम रामदयाल सिंह तथा 77/2012 उनवान रविन्द्र सिंह बनाम रामदयाल इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुए, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.02.2006 में दिये गये निर्देशो का पालन नहीं किया है तथा कोई बयान अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लिये गये हैं एवं पूर्व में जिस साक्ष्य के आधार पर दावा खारिज किया था उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन आदेश से दावा आंशिक डिक्री कर दिया। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में यह सिद्ध नहीं किया है कि उनका पिता रतन सिंह, रामदेई वेवा दामोदर के गोद नहीं गया। जबकि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जमाबन्दी संवत 2028 से यह पूर्णतः साबित है जमाबन्दी में रतन सिंह मुतबन्ना रामदेई लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता सरदार सिंह के नाम आना स्वभाविक है। कथित वयनामें भी गोद जाने के तथ्य को छुपाने की गरज से कराये हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 विवादित आराजी पर अपना कोई कब्जा साबित नहीं कर पाये हैं और बिना कब्जे के घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर एवं प्रत्येक तनकी का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचना की जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। गोदनामे का काई साक्ष्य नहीं है, केवल पंचायत ने नामान्तकरण में दर्ज कर दिया जो फिसकल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। रतन सिंह ने रामदेई की भूमि विरासत से नहीं बल्कि जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में प्रमुखतः रतन सिंह के गोद जाने को लेकर विवाद है। अपीलाण्ट रतन सिंह को मुस0 रामदेई वेवा दामोदर के गोद चले जाना बताते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार रामदयाल एवं लक्ष्मण के घोषणात्मक वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित आठ तनकियॉ कायम की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

9. <u>तनकी संख्या 01</u> **'' आया पक्षकारान् वाद पत्र की खण्ड संख्या 01 में वर्णित वंश वृक्ष के अनुसार एक ही परिवार के व्यक्ति हैं''** इस तनकी बाबत् कोई गम्भीर विवाद नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक विवेचना कर इस तनकी को वहक वादी पाया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हम नहीं पाते हैं।

10. **तनकी संख्या 02 " आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त रकवे में वर्णित हिस्सों के अनुसार खातेदार काश्तकार व काबिज हैं"** अपीलाण्ट/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि वाकई रतन सिंह मुस0 रामदेई वेवा दामोदर के गोद चला गया। अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य को साबित करने हेतु कोई गोदनामा, गवाह आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, मात्र नामान्तकरण संख्या 239 प्रस्तुत किया है, जो रतन सिंह के गोद जाने के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी उचित ही, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वहक वादीगण विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण तय की है।

11. **तनकी संख्या 03 लगायत 05** , तनकी संख्या 01 व 02 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 खिलाफ अपीलाण्ट/प्रतिवादी निर्णित हुई हैं। अतः उक्त तनकियों की विवेचना प्रासंगिक नहीं है।

12. **तनकी संख्या 06 " आया वादीगण का पिता रतन सिंह मु0 रामदेई के यहॉ गोद चला गया था यदि हॉ तो इसका प्रभाव"** जैसा कि तनकी संख्या 02 की विवेचना में आ चुका है, अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु ना तो कोई गोदनामा एवं ना ही अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रतन सिंह के मुस0 रामदेई को गोद चले जाने वाले तथ्य को सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज अथवा गोदनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः अपीलाण्ट/प्रतिवादी का रतन सिंह के गोद जाने का मौखिक कथन, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रभावहीन है। तनकी वहक वादीगण है।

13. **अनुतोष** – उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। चूंकि प्रकरण में रतन सिंह का गोद जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का घोषणात्मक दावा का निर्णय उचित ही है एवं अपीलाण्ट का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा, रैस्पो0 के उपरोक्त घोषणात्मक दावा के निर्णय से प्रभावित होता है। लिहाजा हम दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

14. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2012 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

15. निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official